मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में "राज-उन्नति" की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित किया।

'कार्मिक पूरी निष्ठा से दायित्य निभाएं, लापरवाही हुई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी'

'कार्मिक पूरी निष्ठा से दायित्य निभाएं, लापरवाही हुई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी'सब हैडिंग-24-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज उन्नति की बैठक को संबोधित करते हुए चेतावनी दी

- **राज उन्नति मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरु की गई पहल है, इसमें चयनित परियोजनाओं व कार्यों पर चर्चा की जाती है। मुख्य सचिव ने राज उन्नति की पहली बैठक के निर्देशों की रिपोर्ट भी पेश की।**

जयपुर, 20 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जन सेवा को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। अधिकारी जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्मिक पूर्ण निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में "राज-उन्नति" की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की 84 हजार 282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ, समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 765 केवी डी/सी ब्यावर-दौसा ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्य में गति लाने और 765 केवी डी/सी सीकर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने उद्योग विभाग को भीलवाड़ा में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए भूखण्ड आवंटन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में आरएफआईडी एवं जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव पाक्षिक रूप से बैठक करें।

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जिला कौशल समितियों को और अधिक सक्रिय करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत, महिलाओं एवं बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए वितरण केन्द्रों पर सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 5 साल में 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि गत वर्ष की लंबित बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि 'एक जिला-एक उत्पाद' नीति के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

इस दौरान मुख्य सचिव ने राज उन्नति की प्रथम बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज उन्नति की पहल की गई है। इसमें चयनित परियोजनाओं, योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत चर्चा कर प्रदेश के विकास को गति दी जा रही है। इसमें आमजन से जुड़े कार्यों और परिवेदनाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। जैसलमेर के धन्नाराम सहित, अन्य परिवादियों ने मुख्यमंत्री का समस्याओं के समाधान के लिए आभार जताया। बैठक में वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा जिला कलक्टर्स जुड़े।

'मां बाप को बताए बिना शादी नहीं कर पाएंगे गुजरात में'

- **गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस सम्बंध में बदलाव करने जा रही है।**

अहमदाबाद, 20 फरवरी। गुजरात में अब चुपके से या घरवालों को बताए बिना शादी करना आसान नहीं होगा। गुजरात विधानसभा में आज मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियमों की घोषणा हुई है। इस नियमों ने यह साफ कर दिया है कि अब हर शादी से पहले माता-पिता को अनिवार्य रूप से बताया जाएगा। यानी भागकर शादी करने वाले कपल्स के लिए यह प्रस्तावित बदलाव एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सरकार ने इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 44 में भी बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। गुजरात सरकार ने इसे जनहित का मुद्दा बताया गया है। इस बदलाव का मुख्य हिस्सा किसी भी शादी से पहले माता-पिता को सूचना देना और माता-पिता की जानकारी जमा करना है। इसे शादी रजिस्टर करने की कानूनी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। प्रस्तावित नियमों में पूरी प्रक्रिया को कागजी रिकॉर्ड से हटाकर एक राज्य सरकार के सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफर किया जाएगा।

ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को आरएएफ एयरबेस नहीं देगा ब्रिटेन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की इस घोषणा से डॉनल्ड ट्रंप भारी गुस्से में हैं

- **ट्रंप ने स्टार्मर के उस समझौते को समर्थन देने से इन्कार कर दिया जिसके तहत चागोस द्वीप मॉरीशस को सौंपने की प्रक्रिया चल ? रही थी।**

वॉशिंगटन, 20 फरवरी। ईरान को लेकर बढ़ ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन कथित तौर पर ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के तहत हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस का उपयोग करना चाहता था, लेकिन लंदन ने इसकी मंजूरी नहीं दी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हालांकि इस पर आधिकारिक स्तर पर कोई संयुक्त बयान सामने नहीं आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार करते हुए दो प्रमुख ठिकानों डिएगो गार्सिया (हिंद महासागर) और आरएएफ फेयरफोर्ड (ब्रिटेन) का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और 1970 के दशक से यह ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा है। यह ठिकाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व तक लंबी दूरी के सैन्य अभियान संचालित किए जा सकते हैं। ब्रिटेन के पुराने रक्षा समझौतों के अनुसार, उसके किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भी यदि कोई देश यह जानते हुए कि सैन्य कार्रवाई अवैध या विवादित है, उसमें सहयोग करता है, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस आइलैंड्स को लेकर ब्रिटेन की नीति की आलोचना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डिएगो गार्सिया जैसा महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। उनका तर्क है कि यदि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता, तो अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद इन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ऐसे में इनका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

ब्रिटिश सरकार का कहना है कि मॉरीशस के साथ चागोस द्वीप समूह को लेकर किया गया समझौता सुरक्षा और कानूनी स्थिरता के लिहाज से आवश्यक है। लंदन का तर्क है कि यह कदम लंबे और महंगे अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों से बचने के लिए उठाया जा रहा है। अनुमान है कि पूरे समझौते की लागत करीब 35 बिलियन पाउंड तक पहुंच सकती है।

फिर से राजस्थान हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कराओ, दोपहर 12 बजे तक हाईकोर्ट खाली कर दो, यहां आरडीएक्स प्लांट किया गया है। इस सूचना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। पिछले चार महीनों में 10वां अवसर है, जब कोर्ट को डराने की कोशिश की गई है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज के अनुसार, धमकी मिलते ही बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे। कोर्ट रूम से लेकर पार्किंग तक चप्पा-चप्पा छाना गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब प्रशासन ने राहत की सांस ली। तलाशी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ और सुबह 10:30 के बजाय करीब 11 बजे सुनवाई शुरू हो सकी। इधर पुलिस की साइबर टीम धमकी भरे मेल की जांच कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह ई-मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ सूर्यकांत जयपुर के दौरे पर रहे। ज्ञात रहे कि 31 अक्टूबर 2025 को पहली बार मेल आया था। इसके बाद 5, 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को लगातार धमकियां मिलीं। साल 2026 में भी 6, 17 और 19 फरवरी के बाद, अब शुक्रवार को फिर यह हरकत दोहराई गई।

'एआई सूनामी जैसा है, दुनियाभर में इससे 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **इन्टरनैशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यह भी कहा कि उन्नत देशों में एआई 60 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगा।**

नई दिल्ली, 20 फरवरी। इन्टरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस (एआई) "सुनामी की तरह" है, जो वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह असर 60 प्रतिशत तक हो सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि प्रवेश-स्तर (एंट्री-लेवल) की नौकरियाँ सबसे अधिक जोखिम में हैं और सरकारों से तत्काल नीतिगत कदम उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने भारत के डिजिटल सुधारों की सराहना करते हुए अनुमान जताया कि एआई भारत की वार्षिक आर्थिक ग्रोथ में 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता है। समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि एआई को लेकर भारत का आशावाद पश्चिमी देशों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े एआई प्रतिभा-भंडारों में से एक है।

एआई सम्मेलन स्थल पर कांग्रेस का प्रदर्शन

- **युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया और ट्रेड डील का विरोध किया, पुलिस ने चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।**

नई दिल्ली, 20 फरवरी। राजधानी में एआई इम्पैक्ट सम्मेलन स्थल पर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले में व्यापक साजिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान आरोपितों की सुरक्षा कर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ लंबी धक्का-मुक्की हुई। इसी दौरान प्रदर्शनी कक्ष के भीतर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश थी।

जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन स्थल के प्रदर्शनी कक्ष संख्या-5 के भीतर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 'टी शर्ट उतार कर' प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट लहराईं, जिससे परिसर में हंगामा खड़ा हो गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर क्यूआर कोड के माध्यम से सम्मेलन स्थल में प्रवेश किया था और बाद में अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। घटना के दौरान कुछ उपस्थित लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया।

पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस कथित साजिश में अन्य किन-किन लोगों की भूमिका हो सकती है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

रील के प्रबंध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया कि उक्त मामले में रीको एक कंपनी के माध्यम से रील में 49 प्रतिशत तक की निवेशक है जो पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कंपनी है इसलिए पूर्व में कभी भी एम डी के चयन प्रक्रिया में राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही आगे बनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा ने भी यह टिप्पणी की कि गाइडलाइन केवल एक दिशा सूचक की तरह कार्य करती है, परंतु वह एक नियम या कानून नहीं है। अदालत ने आगे यह टिप्पणी की कि हाल ही में अतिरिक्त महाधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते समय उन्हीं की अदालत ने इस सिद्धांत को आधार बनाते हुए फैसला दिया था कि गाइडलाइन नियम या कानून का दर्जा नहीं ले सकती। बाद में इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था।

एक अप्रैल से सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही कटेगा टोल टैक्स

- **केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।**

नई दिल्ली, 20 फरवरी। केन्द्र सरकार ने देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतना बंद करने का ऐलान किया है। देश में एक अप्रैल से टोल शुल्क केवल फास्टैग या यूपीआई से ही लिया जाएगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी। यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत तकनीक-आधारित, तेज और निर्बाध राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

'मेरे नाम से ही आए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तब यह कई लोगों को असंभव लगता था। आज सब्जीवाला ऑनलाइन पैसा ले रहा है। यहां तक कि पहले की तरह घर से निकलने पर पैसा संभाल कर रखने की जरूरत भी खत्म हो गई है, लेकिन प्रगति के साथ चुनौती भी आती है। नित नए तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं। व्यक्ति के मन में लालच आने से भी ठगी हो जाती है। सीएम ने कहा कि न्याय बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, दूरदराज बैठे व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए।

यूपी के बाल यौन शोषण कांड में दो दोषियों को फांसी

- **पॉक्सो कोर्ट ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया और आरोपी राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई।**
- **आरोप है कि दम्पति चित्रकूट में किराए के मकान में रहते थे उन्होंने 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया उनके दो लाख से ज्यादा वीडियो बनाकर विदेश भेजे।**

बांदा, 20 फरवरी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में नाबालिग बच्चों के साथ हुए संगठित यौन शोषण के अत्यंत जघन्य मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, बांदा ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मुख्य दोषी निलम्बित जेई राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक सौरभ सिंह के अनुसार, इस मामले की जांच सीबीआई, दिल्ली द्वारा की गई थी। इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। जांच में सामने आया कि आरोपित दम्पति, जो थाना नरैनी क्षेत्र के निवासी हैं, ने चित्रकूट में किराये के मकान में रहकर करीब 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें विदेशों में भेजा। जांच एजेंसियों के अनुसार, लगभग 2 लाख से अधिक वीडियो तैयार कर करीब 47 देशों में भेजे गए, जिनका उपयोग ब्लैकमेलिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया गया। मुकदमे के दौरान कुल 74 गवाह अदालत में पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी का है, इसलिए इन्हें तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी), 120 बी (आपराधिक साजिश), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध किया। साथ ही मृत्युदंड के अलावा आजीवन कारावास, कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। न्यायालय ने सभी पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया है। साथ ही जुर्माने की राशि भी पीड़ितों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं, बल्कि समाज की नैतिक नींव को भी हिला देते हैं। यदि ऐसे मामलों में कठोर दंड नहीं दिया गया, तो यह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले "पैक्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हेलबर्ग की अटकलों ने 12 अक्टूबर 2020 के मुंबई बिजली कटौती को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं की पुष्टि कर दी।

हेलबर्ग की यह टिप्पणी उस समय आई, जब अमेरिका और भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग और गहरा हुआ।

अपने संबोधन में हेलबर्ग ने बढ़ते आर्थिक दबाव और साइबर खतरों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोरियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि हमारे मित्र और सहयोगी रोज़ आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल की धमकियों का सामना कर रहे हैं, जहाँ उन्हें अपनी संप्रभुता और समृद्धि के बीच चुनाव करने को मजबूर किया जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने देखा है कि सीमा पार से एक की-स्ट्रोक के ज़रिए एक महान भारतीय शहर की बत्तियाँ बुझा दी गईं...।"

हेलबर्ग संभवत: मुंबई ब्लैकआउट की ओर संकेत कर रहे थे, जिसे व्यापक रूप से चीनी साइबर घुसपैठ से जुड़ा माना गया था।

पैक्स सिलिका घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए, जिससे दिसंबर 2025 में शुरू किए गए इस गठबंधन में भारत औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस पहल में वे देश शामिल हैं, जो अपनी सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक सुरक्षित और कम संवेदनशील बनाना चाहते हैं। ऐसे समय में जब महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण एक रणनीतिक मुद्दा बन चुका है, इस प्रकार की साझेदारियाँ केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहीं; वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी हैं।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस साझेदारी को 21वीं सदी की आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था को परिभाषित करने वाली बताया। भारत का सह-संस्थापक के रूप में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने जीतने का विकल्प चुना है। उन्होंने इस गठबंधन को ऐसी व्यवस्था बताया, जो प्रौद्योगिकी की निर्णायक ऊँचाइयों को स्वतंत्र देशों के हाथों में बनाए रखेगी।

उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नवाचार बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली में होता है या उन निगरानी देशों में, जो प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने लोगों की निगरानी और नियंत्रण के लिए करते हैं।

हालाँकि चीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन व्यापक रणनीतिक संदर्भ स्पष्ट है। अक्टूबर 2025 में बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन वैश्विक दुर्लभ खनिज उत्पादन का लगभग 61 प्रतिशत और प्रसंस्करण का 92 प्रतिशत नियंत्रित करता है, जिसका हवाला इन्टरनैशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमानों से दिया गया था। दुर्लभ खनिजों का उपयोग सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित, अनेक आधुनिक उद्योगों में होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ने हाल के महीनों में दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है और इन्हें विदेश भेजने से पहले सरकारी अनुमति अनिवार्य कर दी है। विश्लेषकों के अनुसार, उत्पादन और प्रसंस्करण में चीन की प्रमुखता उसे व्यापार वार्ताओं में प्रभावशाली बनाती है। ऐसी पृष्ठभूमि में पैक्स सिलिका जैसे प्रयासों को साझेदार देशों द्वारा अत्यधिक केन्द्रीकृत आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए वैकल्पिक, विश्वसनीय नेटवर्क विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन में शुरू की गई पैक्स सिलिका, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमैंट ऑफ स्टेट की एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य, गोर के शब्दों में, "पूरे सिलिकॉन स्टैक" को महत्वपूर्ण खनिजों के खनन से लेकर चिप निर्माण संयंत्रों और उन्नत एआई तैनाती तक सुरक्षित रखना है।

गोर ने कहा, "पैक्स सिलिका पूरे सिलिकॉन स्टैक को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, खदानों से लेकर, जहाँ से हम महत्वपूर्ण खनिज निकालते हैं, फैब्स तक, जहाँ हम चिप्स बनाते हैं, और डेटा केन्द्रों तक, जहाँ हम उन्नत एआई तैनात करते हैं। उन्होंने इसे क्षमताओं का ऐसा गठबंधन बताया जो दबावपूर्ण निर्भरताओं की जगह विश्वसनीय औद्योगिक आधारों के सकारात्मक-सहयोगी नेटवर्क को स्थापित करता है।

साझेदार देशों में इज़राइल, जापान, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, क़तर, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

घोषणा-पत्र में कहा गया है कि विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाएँ पारस्परिक आर्थिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं और एआई को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है।

केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पैक्स सिलिका में भारत के प्रवेश को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ऐसे समय में, जब आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार बनाया जा चुका है, सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता है। हमने कोविड के दौरान हुए व्यवधानों को देखा है, और इसे हथियार भी बनाया जा सकता है। इसलिए आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय देश के रूप में देख रहा है।"

देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2-नैनोमीटर चिप्स की डिज़ाइनिंग कर रहा है और विनिर्माण, उपकरण तथा सामग्री का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। दस सेमीकंडक्टर संयंत्र विभिन्न चरणों में हैं और जल्द ही वाणिज्यिक उत्पादन की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, भारत में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उभर रहा है। पैक्स सिलिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

बताया गया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसे ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है, में 110 से अधिक देशों और 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 20 राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष और लगभग 45 मंत्री शामिल थे।

बंगाल में एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश जारी किया

- **सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं पर स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी है और चुनाव आयोग से 28 फरवरी तक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा है।**

नई दिल्ली, 20 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले पर सुनवाई करते हुए तार्किक 'विसंगति' सूची में डाले गए लोगों की ओर से जमा किए दावों के निपटारे के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे सेवारत और रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराएं।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों को हर संभव मदद करें, ताकि ये प्रक्रिया पूरी की जा सके। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे एसआईआरके काम में लगे अधिकारियों को मिलने वाली धमकियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करें।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बंगाल में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हालत है, जहां दो संवैधानिक संस्थाएं निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच विश्वास की कमी साफ नजर आती है। इसके चलते एसआईआर प्रकिया अटकी हुई है। इस असाधारण हालात के चलते हमारे पास यह फैसला लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईआर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे में राज्य में वोटर्स की अंतिम सूची 28 फरवरी तक प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग 28 फरवरी के बाद भी पूरक वोटर लिस्ट प्रकाशित कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने 9 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह निर्वाचन आयोग के लिए काम कर रहे 8 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करे। 4 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद उच्चतम न्यायालय में दलीलें रखीं। ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ दम तोड़ रहा है। ममता ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे, लेकिन आयोग ने पत्रों के जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट आना पड़ा, मैं न्याय के लिए कहां जाऊं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब असम और अन्य उत्तरी राज्य, जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा, तो फिर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। दूसरे राज्यों में ऐसी शर्तें नहीं रखी जातीं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्